न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 179/2022

अनवान : –

1. चन्दो पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
2. विधा पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
3. कलावती पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. हरिसिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
2. बिरबलराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
3. बनवारी पुत्र पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
4. धर्मपाल पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
5. रामलाल पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
6. निकुराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायलान**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 12/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 137/134 के ख0न0 171/1 की 9.3610 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है तथा खाता स0 69/65 के ख0न0 170/2, 171/2 की कुल 9.3990 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 2 के नाम दर्ज है तथा खाता स0 68/64 के ख0न0 159 की कुल 9.5380 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 3 के नाम दर्ज है तथा खाता स0 45/43 के ख0न0 170/1 की 9.3610 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 4 के नाम दर्ज है तथा खाता स0 102/97 के ख0न0 176 की 10.1200 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 5 के नाम दर्ज है तथा खाता स0 53/50 की 9.3610 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायलान के दादा पुरण पि0मु0 जीवर जाति जाट कि नाम दर्ज थी। उनके देहान्त के बाद सायलान के भाईयों यानि की गैरसायलान ने गलत तरीके से वारिसान को छिपाते हुए विधि विरूद्ध तरीके से गैरसायलान सं0 1 ता 6 ने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम वाद भूमि दर्ज करवा कर विभाजन करवा लिया। सायलान [illegible] व पर्दानशीन औरत है जिनको काफी समय बाद पता चला की गैरसायल स0 1 ता 6 ने अवैध रूप से उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है। वाद भूमि पैतृक जिसमें सायलान का भी गैरसायलान के [illegible] जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायलान संख्या 1 ता 6 सायलान को वाद भूमि रहन, बैय करने की सरेआम धमकी देते हैत था सायलान को उनके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 137/134 के ख0न0 171/1 की 9.3610 हैक्ट, खाता स0 69/65 के ख0न0 170/2, 171/2 की कुल 9.3990 हैक्ट भूमि तथा खाता स0 68/64 के ख0न0 159 की कुल 9.5380 हैक्ट भूमि, खाता स0 45/43 के ख0न0 170/1 की 9.3610 हैक्ट भूमि, खाता स0 102/97 के ख0न0 176 की 10.1200 हैक्ट भूमि, खाता स0 53/50 की 9.3610 हैक्ट भूमि कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 2, 4, 6 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अत अप्रार्थीगण संख्या 2, 4, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी स0 1, 3 व 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता ने कोई गलत तरीके से इंतकाल दर्ज नही करवाया है उत्तरदातागण के विधि के अनुसार ही नामान्तरण दर्ज करवाया है वाद भूमि पर सायल का किसी प्रकार का कब्जा नही है एवं अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है अतः रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमांबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रही है और उनकी फौतदगी के बाद गैरसायलान संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हुई है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना [illegible] पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य [illegible] सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद [illegible] ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जा सकें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण के अनुसार उक्त वाद भूमि गैरसायलान स0 1 ता 6 के नाम दर्ज है जबकि प्रथम दृष्टया सायलान का भी उक्त वाद भूमि में हक हिस्सा है अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 ता 6 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 ता 6 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 137/134 के ख0न0 171/1 की 9.3610 हैक्ट, खाता स0 69/65 के ख0न0 170/2, 171/2 की कुल 9.3990 हैक्ट भूमि तथा खाता स0 68/64 के ख0न0 159 की कुल 9.5380 हैक्ट, खाता स0 45/43 के ख0न0 170/1 की 9.3610 हैक्ट भूमि, खाता स0 102/97 के ख0न0 176 की 10.1200 हैक्ट भूमि, खाता स0 53/50 की 9.3610 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 12/08/24 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:01 IST
Reason: SelfAttested